राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 74/2018

किस्म मुकदमा : **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91**

तारीख दर्ज : 30.08.18 **निर्णय दिनांक :**

सरकार जरिये पटवारी हल्का कुचामन सिटी **बनाम** **सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति बावरी राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत निवासीगण कुचामन सिटी**

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **कुचामन सिटी** द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति बावरी वगैराह** नि. कुचामन सिटी ने ग्राम **कुचामन सिअी** के खसरा नम्बर 2385 कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म **गै.मु. ढाणी** में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से **तारबंदी कर** अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी राजेन्द्र उपस्थित हुआ तथा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना – पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम **कुचामन सिटी** के आराजी राज खसरा नम्बर 2385 कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म **गै.मु. ढाणी** में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.1 रू का पच्चास गुणा से राशि रू0 5/– अक्षरे पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर भूमि कब्ज़ा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

मॉंग कायमी रा.ले.स.-4
क्र. पृष्ठ संख्या 27
वर्ष 18-19
रा.जुर्माना 05
क.निलामी
गोचर जुर्माना
प्रा.पैदावार

तराले कुचामन सिटी